

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 222595

दिनांक :- 02/03/15

ग्रा०वि०-३/स्था०-०७-०१/१४

प्रेषक,

एस०एम० राजू,

सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- प्रखंड भवनों एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत गृह (आरक्षी) विभाग के पत्र सं-१५५५ दिनांक 30.12.11 द्वारा सभी सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करने का निर्देश है । उक्त पत्र के आलोक में प्रखंड भवनों एवं ग्रामीण विकास अभिकरण के सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा यंत्र लगाये गये हैं या नहीं इसके संबंध में कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है । विदित हो कि उक्त पत्र में अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है ।

अतः अनुरोध है कि मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्रखंड एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सरकारी भवनों में बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 जो 10 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित है, के नियम-१२८ में दिये गये दिशा-निर्देश का पालन करते हुए अग्नि शामक यंत्र लगाना सुनिश्चित किया जाय तथा की गयी कार्रवाई की सूचना इस विभाग को भी दी जाय ।

विश्वासभाजन

(एस०एम० राजू)

जापांक:- 222595

दिनांक:- 02/03/15 १४/२/१५

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*सचिव
14/2/15*